

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 758/आउशि/अ0प्र0/09

भोपाल, दिनांक- 23/3/89

प्रति,

1. प्राचार्य,
समस्त उत्कृष्ट महाविद्यालय,
म0प्र0।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
म0प्र0।

विषय:- उत्कृष्टता महाविद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 50 प्रतिशत करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत उत्कृष्टता संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा विद्यार्थियों को सुलग उच्च शिक्षा मुहैया कराने हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता, सत्र 2009-10 के लिये 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। उक्त सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त हो, सुनिश्चित करें। यह व्यवस्था केवल 2009-10 के अकादमिक सत्र के नवीन प्रवेश के लिये ही मान्य होगी।

Asim
23.3.89

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश